संख्या-323/2017/2320/22-2-2016-17(61)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अचल सिंह पुत्र श्री करन सिंह निवासी जनपद-आगरा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44183/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 17-11-2016) दिनांक-15-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अचल सिंह पुत्र श्री करन सिंह, निवासी-छत्तर गढ़ी, थाना-फतेहाबाद, जनपद-आगरा का रहने वाला है। घटना से लगभग 02 वर्ष पूर्व चल रहे पारिवारिक विवाद के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 08.07.1976 को सुबह के समय अपनी पत्नी श्रीमती मलिया की गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-263/1977 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा के आदेश दिनांक 30.05.1978 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2015 तक 14 वर्ष 06 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 01 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी के 01 सहअभियुक्त जमानत के दौरान पुलिस इन्काउन्टर में मारा जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि घटना से लगभग 02 वर्ष पूर्व चल रहे पारिवारिक विवाद के कारण बन्दी ने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 08.07.1976 को सुबह के समय अपनी पत्नी श्रीमती मलिया की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अचल सिंह पुत्र श्री करन सिंह को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अचल सिंह (बन्दी संख्या-6802) पुत्र श्री करन सिंह, निवासी जनपद-आगरा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-323/2017/2320(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।